न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 16

गोपालगंज

<u>अधिकार वाद संख्या– 1265/2022</u>

नंन्दजी चौधरी...वादी

बनाम

भगीरथी चौधरी एवं अन्य ....प्रतिवादीगण

27.06.2023

वादी की ओर से हाजरी है। एवं वादी की ओर से शपथ पत्र से सर्मथित वाद वापसी का अवेदन दिनांक 27.06.2023 दाखिल किया गया है एवं दाखिल आवेदन को संचालित करते हुए कथन करते है कि वादी द्वारा हकियत की धोषणा करने हेतु वाद किया गया है। वाद दाखिल करते समय बहुत बतो की जानकारी नही थी। वाद पत्र मे बहुत सी बाते एवं कागजात की सही जानकारी नही हो सकी। वाद पत्र मे त्रुटी है न्यायहित मे वाद वापसी के आधार पर निष्पादित किया जाय एवं पुनः वाद दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन पश्चात प्रतीत होता है कि अवेदन शपथ पत्र से सर्मथित है। वादी अपने वाद को आगे नही चलाने का कथन अपने आवेदन मे किये है। एवं वाद मे प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे वादी का अवेदन दिनांक 27.06.23 को वाद मे बिना किसी अनुतोष के वाद वापसी का अवेदन न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है, एवं वाद वादी के आवेदन के अधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है, एवं पुनः वाद दाखिल करने का अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार मे जमा करे।

लेखापित

अवर न्यायधीश 16